



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
**Office of the Chief Commissioner**  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**  
**(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)**

**स्थापना आदेश संख्या : CCU- 26/2025**

श्री राम किशन रैगर (जन्मतिथि- 03.07.1965), अधीक्षक, ग्रुप-बी (राजपत्रित), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय जयपुर) के द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत नोटिस दिनांक 10.01.2025 एवं दिनांक 24.03.2025 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 43 के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें दिनांक 23.06.2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

(चेतन कुमार जैन)  
 प्रधान आयुक्त

फा.स. GCCO/II/3/RTR/5/2020/Part-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री राम किशन रैगर, अधीक्षक।
2. संयुक्त आयुक्त (का.एवं सत.), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय जयपुर) को उनके कार्यालय के पत्र फा.सं. II-39/III/2022 दिनांक 19.02.2025 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री राम किशन रैगर, अधीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री राम किशन रैगर, अधीक्षक को कार्यभारमुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर/ अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/ सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर)।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।